न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 170/2008

सायलान :- बनाम गै०सा० :-

1. भैराराम पुत्र शिम्भूराम
2. जवानराम पुत्र सता फौत
   के कायम मुकाम :-
   2/1 केलकी बेवा जवानराम
   2/2 पुनाराम पुत्र जवानराम
   2/3 मांगीलाल पुत्र जवानराम
   2/4 नेतीराम पुत्र जवानराम
   2/5 दुर्गाराम पुत्र जवानराम
   2/6 मलाराम पुत्र जवानराम
   2/7 गजराई पुत्री जवानराम
   2/8 गटूबाई पुत्री जवानराम
3. पाबूराम पुत्र सता
4. मोतीराम पुत्र सता फौत
   के कायम मुकाम :-
   4/1 अमराराम पुत्र मोतीराम
   4/2 रतनलाल पुत्र मोतीराम
   4/3 परमादेवी पुत्री मोतीराम
   पत्नि बगदा
5. जोगाराम पुत्र भींयाराम
6. अमराराम पुत्र गणेशराम
7. हरीराम पुत्र गणेशराम
8. पुखाराम पुत्र उदाराम
9. ढगलाराम पुत्र उदाराम
10. बाबूलाल पुत्र उदाराम
11. मदनलाल पुत्र उदाराम
12. राजूराम पुत्र मुकनाराम
13. जिमनाई पुत्र उदाराम
14. माडकी पत्नी हापूराम
   के कायम मुकाम :-
   14/1 पूनाराम पुत्र हापूराम
   14/2 मोहनलाल पुत्र हापूराम

जातियान-कुमावत निवासी-बेरा रावली बावड़ी, खिनावड़ी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 14/11/2008

उपस्थित: 1. चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायलान।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णयः- दिनाँकः 03/06/2015

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध गैरसायलान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-खिनावडी, तहसील-जैतारण में सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 0-14 बीघा किस्म गै0मु0गुहा, खसरा नम्बर 116 रकबा 1-17 बीघा गैर मुमकिन बेरा रावली बावडी व खसरा नम्बर 106 रकबा 38-08 बीघा व खसरा नम्बर 117 रकबा 22-07 बीघा व ख0नं0 108 रकबा 10-11 बीघा चाही प्रथम व खसरा नम्बर 112 रकबा 3-11 बीघा चाही प्रथम, ख.नं. 114 रकबा 3-07 बीघा चाही प्रथम ख.नं. 107 रकबा 11-05 बीघा चाही प्रथम, ख.नं. 110 रकबा 12-09 बीघा चाही प्रथम वाके हैं व इसे प्रार्थना पत्र में बेरा रावली बावडी व उसके जाव के नाम से संबोधित किया जायेगा उक्त बेरा रावली बावडी व उसके जाव की जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित नकले प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। आबादी ग्राम-खिनावडी से बेरा गांगली गावं पायली बेरा सिरीया बेरा पिपलिया रावली बावडी व बेरा दूजोडिया पर जाने का एक कदीमी आम रास्ता मौजूद है। जिसके दोनो तरफ मिट्टी की खन्दक व कांटो की बाड बनी हुई हैं। यह कदीमी आम रास्ता गांव खिनावडी से जैतारण जाने वाला आम रास्ता बेरा सिरीया के खसरा नम्बर 123, 120 के पास से होता हुआ आता जाता हैं जो राजस्व रेकर्ड में बतौर आम रास्ते के दर्ज हैं व खसरा नम्बर 123 व 125 के मध्य, होता हुआ खसरा नम्बर 120 व 125 के मध्य होता हुआ यह रास्ता गैर मुमकिन सेरिया खसरा नम्बर 120/230 जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है से होता हुआ यह रास्ता खसरा नम्बर 80 व 118 के मध्य होता हुआ आगे खसरा नम्बर 117 के दक्षिणी पूर्वी तक चलता है। उसके आगे सायलान के बेरे बावडी का जाव में स्थित बेरा रावली बावडी का जाव के सडे तक जाने का आम रास्ता जिसे स्थानीय भाषा में सेरिया कहते हैं जो मौजूद है व चालू है इसी प्रकार ख.न. 80 व 77 के मध्य खसरा नम्बर 120/130 के उत्तर उक्त दोनो खसरो के मध्य होता हुआ गांव खिनावडी की गौचर भूमि व शमशान भूमि में जाने का सेरिया मौजूद है नक्शा ट्रैश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। सायलान के ग्राम खिनावडी के बेरा दूजोडिया पिपलिया व सिरिया पर आबादी गांव-खिनावडी से उक्त कुओ पर गौचर व शमशान भूमि पर जाने का आम रास्ता जो कदीमी है व सैकडो वर्षो से आज दिन तक चला आ रहा हैं व वर्तमान में चालू हैं व वक्त सेटलमैन्ट उक्त ग्राम खिनावडी से सायलान के बेरे तक जाने का आम रास्ता व अन्य कुएं पर जाने आने का व सायलान के कुएं व अन्य कुओं का उनके कुएं से गांव की गोचर भूमि व सायलान भूमि के आम रास्ते का अंकन गलती से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी मिसल बंदोबस्त व नक्शा ट्रैस मे गलती से आम रास्ते को बतौर रास्ते का इन्द्राज नहीं किया गया जो रेकर्ड की एक भूमि व गलती है व अब आस पास के कुएं वाले उक्त आम रास्ते को बतौर रास्ते दर्ज नहीं होने से समस्त ग्रामवासियों व सायलान बतौर रास्ते के आने जाने व उपयोग मे दखलदांजी करते व बाधा पैदा करते हैं। व रास्ता बंद करने पर उतारु है। सायलान का अन्य कुओं का ग्राम सायलान के कुएं बेरा रावली बावडी से आबादी ग्राम खिनावडी में जाने जाने व गौचर व श्मशान भूमि पर जाने आने का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

एक मात्र रास्ता है अन्य कोई रास्ता नहीं है जो रास्ता वक्त सेटलमेन्ट नक्शा ट्रेश राजस्व रेकर्ड में गलती से भूल से दर्ज नहीं किया गया इसलिये राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेश को रास्ते की मौका स्थिति अनुसार दुरुस्त किया जाकर रास्ते का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में व नक्शा ट्रेश है। वर्तमान में मौजुदा आम रास्ता की भूमिका भूमिधारक व लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है व उसके प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण है जिन्हे पक्षकार बनाया जाकर रास्ता दर्ज करने व नक्शा ट्रेश में रास्ता दर्ज करने व रेकर्ड में दुरुस्त रास्ता दर्ज का यह प्रार्थना पत्र सायलान के विरुद्ध पेश किया जा रहा है। वक्त सेटलमेन्ट भूल व गलती से जो रास्ता दर्ज नहीं किया है व उक्त नक्शा ट्रेश व राजस्व रेकर्ड को दुरुस्ती का अधिकार लेण्ड रेकर्ड आफिसर के नाते धारा 136 एलआरएक्ट के तहत भी प्राप्त है व इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फूलमाल में पेश हुई। सायलान संख्या 2 व 4 फौत के का0मु0 की जानकारी मजमा-ए-आम व उपस्थित सायलान से ली गई। का0मु0 को रेकर्ड पर लिये जाते हैं। सायलान ने संशोधित शीर्षक पेश किया, सा0मि0 हो। सायल संख्या 14 फौत के का0मु0 पहले से ही रेकर्ड पर होने से इनका नाम हटाया जाता हैं। लाल स्याही पेन से प्रार्थना पत्र पर अंकित किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। जवाब में कहा कि ग्राम-खिनावड़ी के खसरा नम्बर 118 एवं खसरा नम्बर 77 में से रास्ता तरमीम कराना चाहते हैं। मगर उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी दर्ज हैं। खसरा नम्बर 77 के खातेदार मदन पुत्र उदा वगैरह हैं तथा खसरा नम्बर 118 के खातेदार मला पुत्र लूम्बा वगैरह दर्ज हैं। खातेदारी में से रास्ता कायम करने हेतु धारा 251(क) में प्रावधान हैं, जबकि दावा धारा 136 में पेश करने से स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फूलमाल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner